न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 282/2016
पंजीयन दिनांक 11.08.2016

(1). रामा पिता लालु जाति रेगर निवासी गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). चुन्नीलाल पिता लालु जाति रेगर निवासी गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). चांदमल पिता लालु जाति रेगर निवासी गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). कालूलाल उर्फ हीरालाल पिता कुका जाति रेगर निवासी गरदाना हाल मुकाम बावल तहसील जावद जिला नीमच(मध्यप्रदेश)।
(2). बगदीराम पिता रामा जाति रेगर निवासी गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 139/2014 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1). भगवत सिंह गिलुण्डिया –अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). चन्दनमल जणवा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

निर्णय **दिनांक 29.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मौजा गरदाना तहसील भदेसर के खाता संख्या 288 मे दर्ज आराजी संख्या 645, 1217, 1326, 1414 कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 4 के परिवार के मूलपुरूष लालु के दो पत्नीया थी प्रथम पत्नी खेमी बाई का जायन्दा पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी है तथा दूसरी पत्नी मोहनी बाई के जायन्दा पुत्र अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 है। लालू ने अपने जीवनकाल मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा इस प्रकार कर दिया था कि लालू की सम्पत्ति मे से बराबर बराबर आधे हिस्से की हकदार रहेगी। चाहे कितने भी लड़के हो लेकिन उनका हिस्सा अपनी माता के हिस्से मे से ही पांती बंटवाड़ा किया जावेगा। इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी माता का अकेला पुत्र होने के कारण बंटवाड़े मे उसको उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे से 1/2 हक हिस्सा दिया गया है। व अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को उनकी माता के हिस्से के आधार पर संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दिया गया है। व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी एवं अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांटगण प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि आराजीयात है । उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बिना जानकारी दिये उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात स्वयं के नाम खातेदारी मे दर्ज करवा ली । जबकि उक्त वर्णित सम्पूर्ण पैतृक कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है। जिसकी घोषणा कराने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को है। इस प्रकार उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे निहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के 1/2 हिस्से का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे निहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के हक हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर पृथक से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने एंव प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन कि वह उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के किसी भी भू-भाग को दीगर को किसी प्रकार से हस्तांतरित व खुर्द बुर्द नहीं करे।

वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गई। दिनांक 27.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प गरदाना मे रखी जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी मे रखा जाकर उक्त हक हिस्से अनुसार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के किसी भी भू-भाग को रहन, बय, बक्षीश या खुर्द बुर्द व किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं करे व मौके कब्जे व राजस्व रेकॉर्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील व जवाबदावे मे नियत थी। जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.06.2016 नियत थी परन्तु दिनांक 27.06.2016 को बिना जवाबदावे व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की बिना जानकारी के ही पत्रावली लोक अदालत कैम्प गरदाना मे रखी जाकर बिना पक्षकारान की सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता लालू की खेमीबाई पत्नी नहीं रही है व वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता का पुत्र नहीं है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पिता लालू की एकमात्र पत्नी रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की माता मोहनीबाई थी जिसके तीन पुत्र रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व एक पुत्री भी है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त वर्णित कृषि आरजीयात पर कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही उसका नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात विरासतीय नामान्तरण से अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम सन 1989 मे दर्ज हुई है फिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

भी उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं का कब्जा होना बताकर विरासतीय नामान्तरण के 25 वर्ष बाद वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो की पालना नहीं की जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर ही वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 वादी की ओर से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांटगण की पैतृक सम्पत्ति होना व उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित होना प्रमाणित करवाया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे निहित 1/4 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से अनुसार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे से आराजी संख्या 1414 रकबा 0.42 हैक्टेयर को अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है , को विकय कर दिया है। उक्त विकयशुदा रकबे को अपीलांटगण प्रतिवादीगण के हिस्से मे से कम किया जाकर शेष हिस्से अनुसार बंटवाडा किये जाने का प्रार्थना पत्र वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर तदनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील व जवाबदावे मे नियत थी। जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.06.2016 नियत थी परन्तु दिनांक 27.06.2016 को बिना जवाबदावे व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की बिना जानकारी के ही पत्रावली लोक अदालत कैम्प गरदाना मे रखी जाकर बिना पक्षकारान की सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 139/2014 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2016 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, साक्ष्य लिवायी जाकर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे, तनकीवार, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.09.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)